

# निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, पो. डालनवाला, देहरादून।

(दूरभाष नं. 0135-2672920, फैक्स नं. 0135-2672919)

पत्र संख्या 8223-29

/ ज.जा.क. / पीवीटीजीएस / (09) / 2017 / 17-18

दिनांक 28-2-2018

नोडल अधिकारी,  
आई.टी.सैल, समाज कल्याण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों बुक्सा एवं राजी (PVTGs) के विकास की योजनान्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विज्ञाप्ति सम्बन्धी सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों बुक्सा एवं राजी (PVTGs) के विकास की योजनान्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विज्ञाप्ति सम्बन्धी सूचना को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय 4 में वर्णित सेवाओं की अधिप्राप्ति के अन्तर्गत विन्दु संख्या-55(2) सम्बाधित स्रोतों की पहचान के क्रम में विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है।

अतः संलग्न विज्ञाप्ति सम्बन्धी सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(बी.आर.टम्टा)

निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या

/ ज.जा.क. / पीवीटीजीएस / (09) / 2017 / 17-18 तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक।

## निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड

शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, पो. डालनवाला,

देहरादून। (दूरभाष सं. 0135—2672919,20)

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों बुक्सा एवं राजी (PVTGs) तथा अन्य जनजातियों के विकास की योजनान्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रस्तावों का आंमत्रण

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों बुक्सा एवं राजी (PVTGs) तथा अन्य जनजातियों के विकास की योजनान्तर्गत बुक्सा एवं राजी समुदाय तथा अन्य जनजातियों के परिवारों तथा युवाओं हेतु जैविक खेती, इलैक्ट्रिशियन, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, पाली हाउस/ नर्सरी, मशरूम उत्पादन, फैशन डिजाइनिंग, कारपेन्ट्री वर्क, आईटी टूल्स एवं एप्लीकेशन एवं कार्यालय प्रबंधन एवं व्यूटीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हैं। उक्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाता (Training Provider -TP) एवं गतवर्षों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अथवा मिशन में वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं एवं राजकीय अथवा केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कराया जाना है। इस हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाता (Training Provider -TP) होने के साथ-साथ पूर्व में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन के साथ प्रशिक्षण कार्य कर चुकी संस्थाओं जो कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में कार्य करने में सक्षम हो, आवेदन कर सकती है। आवेदन प्रपत्र रु. 1000.00, निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, पो. डालनवाला, देहरादून कार्यालय से नगद/बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिनांक 14.03.2018 तक अपरान्ह 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाईड से डाउनलोड कर उपरोक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न कर भेज सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम देय होगा। आवेदन प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 15.03.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक है तथा परियोजना प्रस्ताव का समिति द्वारा अध्ययन कर पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सम्बन्धितों को पृथक से सूचित किया जायेगा। परियोजना की विस्तृत जानकारी [www.socialwelfare.uk.gov.in](http://www.socialwelfare.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।

निदेशक

## 1. प्रस्तावना

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा Conservation cum Development (संरक्षण एवं विकास) योजना क्रियान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाता (Training Provider -TP) एवं गतवर्षों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन से पंजीकृत अथवा मिशन में वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं एवं राजकीय अथवा केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों से कराने का निर्णय लिया गया है। कार्य उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से काराया जायेगा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाता (Training Provider-TP) होने के साथ-साथ पूर्व में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन के साथ प्रशिक्षण कार्य कर चुकी हो।

## 2. उद्देश्य

- बुक्सा एवं राजी समुदाय तथा अन्य जनजातियों के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार तथा स्वरोजगार की स्थापना करना।
- जैविक खेती को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार की व्यवस्था करना।
- स्वरोगार स्थापना हेतु लाभार्थियों को बैंक एवं वित्तीय संस्थानों जैसे माइक्रोफाइनेन्स के माध्यम से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना।
- आदिम जनजाति की शिशु एवं महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु जागरूक करना।

## 3. क्रियान्वयन हेतु एंजेन्सी का चयन तथा संचालन

योजना क्रियान्वयन हेतु निदेशालय जनजाति कल्याण नोडल विभाग होगा। प्रस्तावों के चयन की प्रक्रिया द्वि-निविदा प्रणाली (टू बिड सिस्टम) के आधार पर गुणवत्ता एवं लागत प्रणाली (QCBS System) के अन्तर्गत किया जायेगा तथा क्रियान्वयन हेतु दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेंगे। योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाता (Training Provider -TP) एवं गतवर्षों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन से पंजीकृत अथवा मिशन में वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के द्वारा काराया जायेगा। एंजेन्सी का पूर्व में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन में प्रशिक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिये। प्रस्तावों के चयन की प्रक्रिया द्वि-निविदा प्रणाली (टू बिड सिस्टम) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत गुणवत्ता एवं लागत प्रणाली के आधार पर किया जायेगा जो कि निम्न प्रकार होगी:

### • तकनीकी चयन

योजना का संचालन निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड की निगरानी में गठित समिति के द्वारा चयनित सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्था अथवा समूह के माध्यम से काराया जायेगा।

प्राप्त प्रस्तावों हेतु समिति के सामने प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। एक से अधिक प्रस्ताव आने पर निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा प्रस्ताव का चयन किया जायेगा। समिति द्वारा एंजेन्सियों के तकनीकी पक्ष पर निर्णय लिया जायेगा।

- वित्तीय चयन

परियोजना संचालन हेतु जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय स्वीकृति मदवार निर्धारित है। चयनित एंजेन्सी को जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा स्वीकृत धनराशि के अधीन किया जायेगा। चयन प्रक्रिया QCBS System के अन्तर्गत की जायेगी। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 60 (2) में विहित विधि के अन्तर्गत मूल्यांकन किया जायेगा। चयनित संस्था/संस्थाओं के कार्य की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें आगामी वित्तीय वर्षों में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम आंवटित किये जा सकते हैं।

#### 4. योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से समय-समय पर किया जायेगा। निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए संगत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय लेंगे एवं कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

##### लाभार्थी चयन:

लाभार्थियों का चयन क्रियान्वयन एंजेन्सी के द्वारा सम्बन्धित कोर्स के अनुसार लाभार्थियों की शैक्षिक योग्यता एवं आय प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा। अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (बुक्सा एवं राजी) अनिवार्य होगा।

##### प्रशिक्षण कार्यक्रम:

प्रशिक्षण कोर्स/कार्यक्रम भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा MES/SSC के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कराया जायेगा जिसमें कि प्रशिक्षण कोर्स के अनुसार प्रशिक्षण घंटे तथा कोर्स हेतु लाभार्थियों की उपयुक्त शैक्षिक योग्यता एवं उम्र निर्धारित है।

##### प्रमाणन

प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त क्रियान्वयन एंजेन्सी के द्वारा सभी लाभार्थियों को तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणन (Third Party Certification) कराना आवश्यक है। सर्टिफिकेशन भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एजेन्सी (NSDC) अथवा DGET मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेशन हेतु अधिकृत एंजेन्सियों के माध्यम से कराया जायेगा।

##### रोजगार एवं स्वरोजगार की उपलब्धता

प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त 70 प्रतिशत लाभार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। स्वरोजगार की स्थिति में इच्छुक लाभार्थियों को वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों से भी लिंकेज कराया जायेगा।



## **5. पात्रता हेतु आय का मानक**

उत्तराखण्ड राज्य के बुक्सा एवं राजी जनजाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम हो। (आय प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत किया गया हो तथा छः माह से पूर्व की अवधि का न हो)

## **6. प्रशिक्षण हेतु भुगतान**

प्रशिक्षण हेतु भुगतान Common Norms के आधार पर दिया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु लागत विवरण भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन सं डीएल(एन)-04/0007/2003-05 दिनांक 8 अगस्त 2015 तथा कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के नोटिफिकेशन सं एच.-22011/2/2014-एस.डी.ई-। जिसको कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु Common Norms भी कहा गया है, से लिया गया है। क्रियान्वयन एंजेन्सी का चयन होने के उपरान्त कार्यक्रम पूर्व रु. 100/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा, जिसमें धनराशि भुगतान एवं अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध शामिल होंगे। क्रियान्वयन एंजेन्सी को प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु भवन संचालन, विद्युत/जल कर आदि की सुविधायें अपने स्रोतों से वहन करनी होगी विभाग के द्वारा इस हेतु कोई धनराशि अलग से नहीं दी जायेगी।

## **7. वाद का निपटारा**

सफल निविदा/निविदादाताओं तथा विभाग के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध में विवाद के निवटारे की व्यवस्था की जायेगी। तदानुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

## **8. धरोहर राशि(EMD)**

निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि के रूप में ₹75,000.00 (₹ पिच्चहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से, बैंक ड्राफ्ट/एन.एस.सी./एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी जो देहरादून में देय हो, के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी। धरोहर राशि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 06 (छ:) के लिए वैद्य होनी चाहिए। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदाओं की स्वीकृति के तुरन्त बाद उन्हें वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि कार्यालय के पास रहेगी। जिसे जमानत राशि (Security Money) में समायोजित कर दिया जायेगा। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा को वापस लेने अथवा सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि तक आवश्यक करार निष्पादित न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। धरोहर राशि के पृष्ठ भाग में फर्म का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करने होंगे।

## **9. सुरक्षा राशि(Security Money)**

सफल निविदादाताओं को कुल कार्य मूल्य का 5% सुरक्षा धनराशि (Security Money), जिसमें तकनीकी बिड के साथ दी गयी धरोहर राशि समाहित हो, का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर./बैंकर्स चैक/एन.एस.सी./बैंक गारण्टी निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से जमा करनी होगी, जिसे कागज के माने एवं गुणवत्ता की जांच, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती एवं संतोषजनक कार्यपूर्ण होने के उपरान्त अन्तिम वैद्य अवधि के पश्चात 60 दिनों में वापस देय होगी।

गुणवत्ता की जांच, विलम्ब दण्ड की गणना/कटौती एवं संतोषजनक कार्यपूर्ण होने के उपरान्त अन्तिम वैद्य अवधि के पश्चात 60 दिनों में वापस देय होगी।

#### 10. योजना में प्रस्तावित प्रशिक्षण ट्रेड (जनपदवार)

योजनार्थीगत निम्न प्रकार के कोर्स सेक्टर प्रायोजित किये गये हैं जो कि जनपदवार एवं लाभार्थीवार निम्न हैं:

Sl	Course Name Sector	Maximum Course Duration (Month)	Dehradun	Haldwani	Pauri Garhwal	Nainital	U S Nagar	Pithoragarh	Champawat	Total
1	Organic Farming Organic Grower	3	25			25				50
2	Electrician Assistant Electrician	3		25		25	50			100
3	Food and Vegetable Processing Fruits and Vegetables Drying	3	25		25	25				75
4	Dairy Dairy Farm Entrepreneur	3	25	25	25		25			100
5	Handicraft Bamboo Handicraft	3	25	25		25				75
6	Poly House / Nursery Gardener	3	25			25	25			75
7	Mushroom Production	3	50							50
8	Fashion Designing Self Employed Tailor	3	25	25			50	50		150
9	Carpentry Work Building Carpenter	3						25	25	50
10	IT Tools and Application and Office Management Domestic Data Entry Operator	3					25			25
11	Beautician Bridal Make-up Artist	3	25				50			75
	TOTAL		225	100	50	125	225	75	25	825

नोट:- प्रशिक्षणर्थीयों की संख्या में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।

#### 11. अंक निर्धारण सिद्धान्त/अनुदेश-

- a) उक्त मापदण्डों के आधार पर प्रशिक्षणदायी संस्था के चयन पर विचार किया जायेगा। चयन होने के लिये तकनीकी प्रपत्र के अनुसार 70 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे।
- b) परियोजना प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण हेतु 25 अंक निर्धारित हैं। निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा प्रस्ताव को गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुतिकरण एवं तकनीकी प्रपत्र हेतु निर्धारित अंकों में से कुल 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाली संस्था को अयोग्य माना जायेगा। तत्पश्चात समिति के द्वारा प्रस्ताव का चयन किया जायेगा।
- c) उपरोक्त तालिका में विवरण के साथ अधिकतम अंक निर्धारित है। अंकों का निर्धारण प्रो-रेटा आधार पर किया जायेगा।
- d) किसी भी प्रकार के निर्णय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

✓

## संस्था के चयन हेतु तकनीकी प्रपत्र

क्र.सं.	मद	विवरण	प्राप्तांक
1	PMKVY/UKSDM में पंजीकरण की जानकारी		
	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में रजिस्टर्ड प्रशिक्षण प्रदाता (Training Provider) तथा गत वर्षों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन में पंजीकरण अनिवार्य एवं पूर्व में कार्यरत (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	अनिवार्य	
2	एंजेन्सी की अवस्थापना सुविधाओं तथा प्रशासनिक विवरण	कुल 10 अंक	
अ	संस्था/संगठन का नाम, पता एवं टेलीफोन नं. सम्पर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता व टेलीफोन नं. संस्था/संगठन की वस्तुस्थिति / रजिस्ट्रेशन	विवरण संलग्न किया जाय।	
ब	संस्था का भवन / किराये सम्बंधित दस्तावेज संस्था का बोर्ड लगा फोटोग्राफ संलग्न किया जाय। सम्बंधित परियोजना हेतु स्टाफ एवं प्रस्तावित स्टाफ तथा क्षमता विवरण।	05	
स	संस्था/संगठन का अपना प्रशासनिक कार्यालय व प्रशिक्षण हेतु स्टाफ का संख्यात्मक विवरण साक्ष्य (Salary Slip/Latest 2 months Bank Account Statement of showing Salary transfer)	25 स्टाफ या अधिक – 05 अंक 20 स्टाफ से अधिक – 04 अंक 15 स्टाफ से अधिक – 03 अंक 10 स्टाफ से अधिक – 01 अंक	
3	वित्तीय अभिलेख एवं टर्नओवर संबंधी विवरण	कुल 05 अंक	
	संस्था का पिछले 3 वर्षों का कुल टर्नओवर (25 लाख प्रतिवर्ष न्यूनतम अनिवार्य) पिछले तीन वर्षों के वित्तीय अभिलेख (चार्टड ऑकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित बैंलेन्स सीट, आय व्यय तथा प्राप्ति भुगतान अभिलेख एवं आई.टी.आर.) भी संलग्न करें।	100 लाख से अधिक – 05 अंक 75 लाख से अधिक – 04 अंक 50 लाख से अधिक – 03 अंक 25 लाख से अधिक – 01 अंक	
4	राज्य में संस्था/संगठन का प्रचालन क्षेत्र (पूर्व में केन्द्र अथवा राज्य सरकार के साथ जनपदों में प्रशिक्षण दिये जाने सम्बंधी प्रमाण)	05 से अधिक जनपदों में – 05 अंक 04 से अधिक जनपदों में – 04 अंक 03 से अधिक जनपदों में – 03 अंक	
5	संस्था के अन्य प्रमाण पत्र पैन न., टैन न., टीएसटी न. एवं ISO प्रमाण पत्र। सेवाकर संख्या, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. (कृपया साक्ष्य संलग्न करें)	05 अंक	
6	संस्था का कार्यानुभव सम्बंधी विवरण	कुल 15 अंक	
अ	केन्द्र अथवा राज्य सरकार के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण / रोजगार परक प्रशिक्षण सम्बंधित अनुभव का प्रमाण।	5 अंक	
ब	केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी संस्थान में कर्मचारियों को प्रशिक्षण का अनुभव	केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु 10 अंक केन्द्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण हेतु 05	

		अंक राज्य सरकार के कर्मचारी हेतु 03 अंक	
७	प्रस्तुत परियोजना से सम्बन्धित विवरण	कुल 20 अंक	
अ	आदिम जनजाति की महिलाओं की आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार से सम्बन्धित विवरण एवं कार्ययोजना तथा परियोजना की विस्तृत कार्य प्रणाली, क्रियान्वयन अनुसूची (Implementation Schedule) तथा पर्ट चार्ट सहित विस्तृत विवरण।	5 अंक	
ब	जैविक खेती, इलेक्ट्रिशियन, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, पाली हाउस नर्सरी, मशरूम, फैशन डिजाइनिंग, कारपेन्ट्री वर्क, आई टूल्स एवं एप्लीकेशन एवं व्यूटीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना क्रियान्वित करने का विवरण।	5 अंक	
स	परियोजना के परिणाम, एवं तार्किक विषलेशण फ्रेमवर्क विवरण। जनजाति के युवाओं के क्षमता निर्माण, रोजगारपरक योजना तथा स्वरोजगार की स्थिति में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहयोग करने हेतु विवरण एवं स्पष्ट कार्यप्रणाली।	5 अंक	
द	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार से सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव	5 अंक	
८	सभी लाभार्थियों के लिये स्वरोजगार हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान से स्वरोजगार खोलने हेतु ऋण प्रदान करने सम्बन्धित स्पष्ट स्वीकृति पत्र।	कुल 15 अंक	
	<b>कुल अंक</b>	<b>75</b>	

✓

## परियोजना प्रस्ताव प्रपत्र

1. परियोजना प्रस्ताव शीर्षक:
2. संस्था का नाम पता एवं सम्पर्क विवरण:
3. वैधानिक स्थिति:
4. उत्तरदायी व्यक्ति का नाम पता एवं फोन नं.:
5. प्रशिक्षण हेतु आवेदित जनपद। (संक्षेप में प्रशिक्षण हेतु आवेदित जनपद का आचित्य एवं जनपद में संस्था की उपस्थिति एवं उन्य विवरण)
6. प्रशिक्षण हेतु आवेदित ट्रेड :
7. आवेदित जनपद :
8. लाभार्थी चयन विवरण संक्षेप में।
9. प्रस्तावित रोजगार प्रतिशत में। (न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार से ऊपर रोजगार तथा स्वरोजगार देने हेतु प्रस्ताव)
10. आवेदित ट्रेड के अनुसार रोजगार की व्यवस्था विवरण। प्रस्तावित रोजगार स्थल विवरण तथा स्वरोजगार व्यवस्था विवरण।
11. स्वरोजगार हेतु विवरण। स्वरोजगार देने की प्रक्रिया लाभार्थी के स्वरोजगार हेतु वित्तीय व्यस्था/बैंक लिंकेज की व्यवस्था तथा अन्य विवरण स्पष्ट कीजिये।
12. संस्था का संक्षिप्त इतिहास
13. अन्य सरकारी संस्थान/विभाग द्वारा परियोजना/प्रशिक्षण विवरण

क्रम	परियोजना का नाम	विभाग का नाम	लाभार्थी	परियोजना में अनुसूचित जाति के लाभार्थी	परियोजना क्षेत्र	लागत विवरण	प्रमाण संलग्नक विवरण (पृष्ठ संख्या)
1							
2							
3							
....							

14. स्थाय के संसाधनों से किया हुआ प्रशिक्षण कार्य विवरण/अनुभव।
15. कुल अनुभव (कौशल प्रशिक्षण संबन्धी एवं जनसाधारण के हितों के लिये किये गये अन्य कार्यक्रम का विवरण)
16. ऐजेन्सी की क्षमता एवं अवस्थापना विवरण। (संस्था की स्टाफ, क्षमता, आधारभूत संरचना, जनपदों में अवस्थापना विवरण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण दें।)
17. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार आदिम जनजाति की महिलाओं की आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार से सम्बन्धित विवरण।
18. प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनायी जाने वाली कार्ययोजना तथा परियोजना की विस्तृत कार्य प्रणाली, क्रियान्वयन विवरण।
19. परियोजना हेतु स्टाफ विवरण।

क्रम	स्टाफ का नाम	योग्यता	वर्तमान में संस्थान में स्थिति / पोस्ट	अनुभव एवं वर्तमान में संस्थान में जिम्मेदारी	कार्य स्थल / जनपद / ब्लाक	संस्थान में योगदान	मोबाइल नॉ	संस्थान में सैलरी	सैलरी प्रमाण संलग्नक विवरण (पृष्ठ संख्या)
1									
2									
3									
....									

(P)

## चेकलिस्ट सूची:

- ऐजेन्सी का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं स्मृति पत्र।
- ऐजेन्सी की क्षमता एवं अनुभव स्टाफ, आधारभूत संरचना, राज्य में कार्यानुभव, तथा प्रचालन क्षेत्र का विवरण, कार्यानुभव विवरण।
- ऐजेन्सी का पूर्व में राज्य के जनपदों में अपने प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण। विगत तीन वर्षों में पर्वतीय जनपदों में प्रशिक्षण केन्द्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करे।
- सरकारी अनुदान एवं परियोजनाओं के अलावा प्रशिक्षण कार्य का अनुभव तथा प्रशिक्षण विवरण।
- किसी विश्वविद्यालय अथवा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान/विभाग जो कि प्रशिक्षण से सम्बन्धित कोर्स को प्रमाण पत्र देने में समर्थ हो, से प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सम्बन्धी विवरण।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में रजिस्टर्ड प्रशिक्षण प्रदाता (Training Provider) तथा गत वर्षों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन में पंजीकरण अनिवार्य एवं पूर्व में कार्यरत (प्रमाण संलग्न करें)
- गत तीन वर्षों में उत्तराखण्ड राज्य में कार्य करने का अनुभव प्रमाण।
- उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन में कार्य करने का अनुभव प्रमाण।
- राज्य विगत तीन वर्षों की आडिट रिपोर्ट एवं बैलेन्स सीट, आय व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान रिपोर्ट चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा सत्यापित प्रति
- विगत तीन वर्षों की प्रगति विवरण
- रिपोर्ट चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा जारी विगत तीन वर्षों का टर्नओवर सर्टिफिकेट
- संस्था में कार्यरत स्टाफ की सूची (नाम, पता, फोन नं., पदनाम, एवं कार्य योगदान प्रपत्र)
- कार्यरत स्टाफ की वेतन आहरण का प्रमाण संलग्न करें।
- ₹ 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी किया हुआ ऐजेन्सी द्वारा इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र कि संस्था किसी विभाग में काली सूची में दर्ज न हो एवं किसी भी विभाग में कार्य पूर्ण न होने की दशा में अथवा किसी कारण ऐजेन्सी से पैनेलटी/जुर्माना न वसूला गया हो का।
- परियोजना प्रस्ताव एवं संस्था द्वारा जमा किये गये सभी अभिलेखों एवं संलग्नकों की सी.डी./पेन ड्राइव इन्डेक्स सूची के अनुसार।
- इच्छित प्रशिक्षण ट्रेडों का विवरण एवं इच्छित जनपदों में कार्य करने हेतु विवरण।
- ऐजेन्सी के प्रतिनिधि हेतु Authorization Letter लेटर हेड पर प्रतिनिधि हस्ताक्षर सत्यापित किये हुये।
- पूर्व में किये गये प्रशिक्षण कार्य के प्लेसमेंट विवरण सूची मय लाभार्थियों के नाम पता एवं रोजगार स्थल का नाम पता विवरण सहित।
- पूर्व में विभिन्न संस्थाओं के साथ प्लेसमेंट अनुबन्ध एवं रोजगार पर भेजे जाने हेतु सम्बन्धित पत्र।
- बैंक/रजिस्ट्र्ड वित्तीय संस्थान का इस आशय का प्रमाण पत्र कि स्वरोजगार प्रदान करने वाले ट्रेडों में इच्छुक लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जायेगा जिससे कि लाभार्थियों को स्वरोजगार खोलने में आसानी हो तथा लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यक कार्यशील पूँजी प्राप्त हो सके।
- राज्य की अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ प्रशिक्षण कार्य करने का अनुभव।
- इन्डेक्स सूची विवरण पृष्ठ संख्यानुसार प्रपत्र संलग्न करें।